

नम्बर
अहक
हुक्म
में

8.6.2015 राजस्थान लोक अदालत - 2015 केम्ब

कोर्ट - लोक वीथी कला

पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 4 उपस्थित।
प्रकारान को सुना गया। प्रकारान ने आपसी सुलह
हो जाने के कारण मौजूदा वाद को विहा करने का निर्णय
किया। प्रकारान के तब्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए
वादीगण को अपना वाद प्रत्या हरित करने की अनुमति
प्रदान की जाती है। पत्रावली फैलल शुमार को

उपस्थित

राजस्थान

राजीव

(नन्द किशोर राजौरा)
उपखण्ड अधिकारी सनेड़ा
जिला बीलवाड़ा (राज.)



कि रजना